CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED.

49

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर, म•प्र• केम्पसागर

R- 1926 -III/14

1•अनिल कुमार तनय रामशरण नायक

निवासी-ग्राम छिरारी तहसील रहली, जिला सागर

2•बृजेन्द्र कुमार तनय रामशरण नायक ...

3•प्रमोद कुमार तनय रामशरण नायक

B.O.R.

6 JUN 2014

कं निवासी-कं•2 एवं 3 वार्ड नं• 13 रहली, तहसील रहली जिला सागर म•प्र•

...पुनरीक्षणकर्तागण

|| विरुद्ध ||

जयप्रकाश तनय रामशरण नायक

निवासी-वार्ड कं• 13 रहली तहसील रहली, जिला सागर

...प्रतिउत्तरदाता

पुन• कं• प्रस्तुत दि•

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•संहिता 1959

88
17-6-14

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं:-

पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रहली जिला सागर, म•प्र• अपील प्रकरण 60अ/6 वर्ष 2011-12 ग्राम पिपरिया तोशकारी प•ह•नं•41 बं•नं• तहसील गढाकोटा जिला सागर, म•प्र• में पारित आदेश दिनांक 28•2•2014 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं-

आज दिनांक 17/6/14 को आयुक्त कार्यालय से प्राप्त

17/6/14
D.R

23.6.14

पुनरीक्षण के तथ्य

(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1926-तीन/2014 जिला सागर अनिल विरूद्ध जयप्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री नवीन पाराशर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभांगीय अधिकारी रहली जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 60अ/5 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 28-02-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-06-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी सँबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

4.1.19

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
4.1.19